23/10/24 प्रार्थनापत्र पेश हुआ। वकील वादी अ0 / अधिवक्ता
गण द्वारा 10 गवाहों हेतु वकील वादी द्वारा
व0व0 धारा 35 पेश करें। प्रार्थनापत्र दिनांक 06/12/24
को पेश हो।

6/11/24 आज यह प्रार्थनापत्र वादी की ओर से अधिवक्ता
श्री मोहम्मद अनीस द्वारा पेश होने पर वादी के वकील
वकील वादी अ0 / अधिवक्ता द्वारा पेश का निवेदन
किया कि उपरोक्त मुकदमा डाकघर का वाद-पत्र
नोटिस-आमंत्रण से लम्बित है। अतः वादी उक्त डाकघर को आगे नहीं चलाना चाहता
आगे इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहता है क्योंकि
वाद के लम्बित रहने से समय व धन की बर्बादी
होती है व आपसी रंजिश बढ़ती है इसलिए अतः
डाकघर को नस्ती स्तर पर खारिज कर दिया जावे
वकील वादी द्वारा वाद पत्र को Not Press
किया गया। वादी द्वारा हस्ताक्षर स्वीकार
किया जाता है अतः वाद वादी Not Press के
आधार पर वाद को नस्ती स्तर पर खारिज किया
जाता है। पक्षकारों को अपना-अपना खर्चा
स्वयं वहन करना होगा।

Not Press

उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर